तारीख हुक्म	न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु०न०:– 173/22 कि०मु०:– दावा उनवान:– लीना सिंह बनाम हमीना कंग हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/1/25	पत्रावली पेश हुयी। वकील उभयपक्ष उपस्थिति। पत्रावली आज प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत ऑर्डर 7 रूल 11 सी०पी०सी० के प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सी०पी०सी० को पेश किया जिसमें अंकित किया है कि:–	

- उनवानी दावे में जैर आराजीयात वाके ग्राम जमूल खेडा प्रार्थीया (प्रतिवादीया) 1 लगायत 3 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात थी। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विक्रय कर चुकी हैं। उपरोक्त उनवानी वाद पत्र तथाकथित एग्रीमेन्ट को आधार बना कर दायर किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। तथा कथित एग्रीमेंट की पालना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद पत्र के तथ्यो की सुनवाई करने का अधिकार आज अदालत को नही होने के कारण वाद पत्र इसी बिना पर काबिले खारिज योग्य है। प्रतिवादिया की जैर विवादित आराजीयात पर वादिया की किसी भी प्रकार की खातेदारी एवं कब्जा काश्त नही होने से इस बिना पर भी वाद पत्र खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हे कि प्रार्थीया (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।
- उक्त प्रार्थना पत्र जवाब वादी वकील द्वारा पेश नही करते हुऐ शीघे ही बहस करने का निवेदन किया।
- अप्रार्थी हमीना रंग वगै० के विद्वान वकील की बहस सूनी। विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि ग्राम जमूल खेडा प्रार्थीया (प्रतिवादीया) 1 लगायत 3 की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात थी। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 विक्रय कर चुकी हैं। उपरोक्त उनवानी वाद पत्र तथाकथित एग्रीमेन्ट को आधार बना कर दायर किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। तथा कथित एग्रीमेंट की पालना सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद पत्र के तथ्यो की सुनवाई करने का अधिकार आज अदालत को नही होने के कारण वाद पत्र इसी बिना पर काबिले खारिज योग्य है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7 रूल 11 स्वीकार फरमाया जावे।
- वकील प्रार्थीया (वादी) लीना सिंह के वकील ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि वाद पत्र में अंकित आराजीयात को वादिया का विक्रय इकरार नामा दिनांक 08.04.2016 होटल व्यवसाय के उद्देश्य से खरीद की थी। इकरार नामा में चेको द्वारा अदा की गयी राशि का इन्द्राज है। वादिया का विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा चला आ रहा हैं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वादिया को यह विश्वासन देते रहे कि विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा तो आपका है ही जिसके के आधार पर हमारे नाम से राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज हो जावेगा हम बकाया राशि प्राप्त करके विक्रय पत्र का पंजीयन करवा दिया जावेगा। वादिया को बिना सूचना दिये ही प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.04.2022 को फर्जी विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या 6 के नाम करवा दी। जिसकी एफआईआर थाना

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कोतवाली में दर्ज करवादी गयी है। वादिया का भौतिक कब्जा होने के कारण दिनांक 22.07.2022 को दर्ज नामान्तकरण संख्या 836 भी खारिज हो गया। विवादित भूमि पर भौतिक कब्जा होने के कारण वादिया को उक्त प्रकरण चलाने का पूर्ण अधिकार है। यदि उक्त वाद पत्र खारिज किया जाता है कि तो वादिया को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया जो खारिज योग्य है।

- हमने उभयपक्ष के वकीलो की बहस का मनन किया तथा सीपीसी 1908 का अवलोकन किया। सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में उल्लेख किया है कि :– वाद पत्र निम्नलिखित दशाओ में नामंजूर कर दिया जाएगा जो क्रमशः

1. जहॉ वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।
2. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय से नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहॉ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहॉ वाद–पत्र मे के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहॉ यह दो प्रतियों में नही भरा गया है।
6. जहॉ वादी नियम 9 के प्रावधानो की अनुमालना में असफल रहता है।

- सीपीसी 1908 के अवलोकन से एवं दोनो पक्षो की बहस सूनने के पश्चात प्रतिवादी हमीना, अम्बर, जून द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 उक्त वाद पर चस्पा होता है क्योकि वादीया उक्त वाद पर वर्तमान में खातेदार नही है। यह वाद पत्र केवल इकरार नामा के आधार पेश किया गया है। इकरार नामा की पालना करवाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय न होकर सिविल न्यायालय को है। वादी ने गलत तरीके से राजस्व अभिलेख से विपरीत वाद पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त वाद पत्र पर सीपीसी 1908 के आदेश 7 रूल 11 के बिन्दु संख्या 1 व 4 चस्पा होती है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 रूल 11 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वाद पत्र में की जा रही कार्यावाही ड्रोप की जाती है। निर्णय आज दिनांक 23/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:38:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner